सं0-563

पत्रांक-230 अधिनियम, वाद	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	2	3

23

अभिलेख उपस्थापित।

(1.) शकुन्तला देवी पिता रामवृक्ष ठाकुर पति श्रीकान्त ठाकुर एवं (2.) राजेश रंजन कुमार पिता कृत ठाकुर, निवास स्थान ग्राम-गुड़वा, थाना-मुफस्सिल, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-गुड़वा, थाना नं0-239, खाता संख्या-03 प्लॉट संख्या-62, रकवा-0.06 एकड़ एवं खाता संख्या-03, प्लॉट संख्या-62, रकवा-0.06 एकड़ कुल रकवा 0.12 एकड़ (12 डिसमिल) (बारह डिसमिल) भूमि राजनन्दनी पिता परमानन्द प्रसाद सिंह, निवास स्थान न्यू कॉलोनी, दीपूगढ़ा, कनहरी हिल रोड, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित केता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र की छायाप्रति एवं भूमि संबंधी कागजात संलग्न करते हुए ऑनलाईन आवेदन Acknowledgement No.-RCMSON22032181 समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-749/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 3967/रा0 दिनांक 02.11.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इश्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 230 दिनांक 06.02.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इश्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा एवं प्रस्तावित भूमि का ट्रेस नक्शा उपलब्ध कराया गया है। आम इश्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

विक्रेता एवं क्रेता अ0पि0व0 के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि केवाला से हासिल है। खतियान के अनुसार प्रश्नगत् भूमि जिरात किस्म की भूमि है। केवाला के अनुसार खरीदगी भूमि 06डी0 तथा 06डी0 कुल 12डी0 भूमि है। पंजी-।। के पृष्ठ संख्या-2/V पर राजेश रंजन कुमार के नाम 06डी0 तथा पृष्ठ संख्या-5/V पर शकुन्तला देवी के नाम 06डी0 की जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2020-21 तक निर्गत् है। आवेदिका स्वयं जमाबंदी रैयत हैं। पूर्ण भूमि आवेदिका की है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदक के पास रकवा 10डी0 भूमि बचती है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नही है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत् भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।

अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
1	2	
	प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को पीला रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में (1.) शकुन्तला देवी पिता रामवृक्ष ठाकुर पति श्रीकान्त ठाकुर एवं (2.) राजेश रंजन कुमार पिता कृत ठाकुर, निवास स्थान ग्राम-गुड़वा, थाना-मुफस्सिल, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-गुड़वा, थाना नं0-239, खाता संख्या-03 प्लॉट संख्या-62, रकवा-0.06 एकड़ एवं खाता संख्या-03, प्लॉट संख्या-62, रकवा-0.06 एकड़ कुल रकवा 0.12 एकड़ (12 डिसमिल) (बारह डिसमिल) भूमि राजनन्दनी पिता परमानन्द प्रसाद सिंह, निवास स्थान न्यू कॉलोनी, दीपूगढ़ा, कनहरी हिल रोड़, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।	

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.02.25 16:04:48 +05:30
Location: 192.168.0.115